उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0–06344–227067
मो0 नं0–8544429975
E-mail : dyeo.munger@yahoo.co.in

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0– 06344–222402
आवासीय दूरभाष सं0– 06344–222401
E-mail: dm-munger.bih@nic.in

आदेश

निर्वाचन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 6728 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–06 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2015, निर्वाचन विपत्र कोड–06–2015001080001 कार्यालय व्यय मद में CFMS प्रणाली के तहत ऑन लाईन आवंटन संख्या–5600 दिनांक 19.09.2019 जिसका आवंटन संख्या–547993 के द्वारा मुंगेर जिला को ₹150000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये पूर्व में प्राप्त हुआ है एवं पत्रांक 8386 दिनांक 31.12.2019 द्वारा मुंगेर जिला को ₹2,94,000/– (दो लाख चौरानवे हजार) रूपये वर्त्तमान में प्राप्त हुआ है, जिसका ऑनलाईन आवंटन **Order No. 8424 Dated 27.12.2019** एवं **Allotment ID – 778387** है। उक्त प्राप्त आवंटन को निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने में अंकित राशि उपावंटित की जाती है :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0001.13.01 कार्यालय व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में वर्त्तमान में आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में वर्त्तमान आवंटन को मिलाकर कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	150000.00	294000.00	444000.00
	योगः–	**150000.00**	**294000.00**	**444000.00**

2. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-- 2015–निर्वाचन–00--108–मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना–0001–मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय, विषय शीर्ष–0001.13.01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. आवंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड–06--2015001080001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1988 के आलोक में राशि की निकासी करेगें।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. (i) यह राशि संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी --सह– जिला पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण में हुये व्यय के भुगतान हेतु आवंटित है। इस राशि से विगत किसी भी वित्तीय वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा। तद्आलोक में नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(ii) आवंटित राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।

7. आवंटित राशि के भुगतान के पूर्व विभागीय पत्रांक 2330 दिनांक 30.03.2009 [नये/डुप्लीकेट (**New/duplicate**) मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु पूर्ववर्ती पहचान–पत्र की ईपिक संख्या का उपयोग तथा फोटो निर्वाचक सूची के इमेज डाटाबेस (**Image database**) के संधारण से संबंधित] एवं विभागीय पत्रांक 4923 दिनांक 11.09.2012 [ईपिक निर्माण के क्रम में विभिन्न काल्पनिक चरणों (**Imaginary steps/procedure**) तथा **Scanning, Renaming, Cropping, Porting** इत्यादि का उल्लेख कर ईपिक वेन्डर्स द्वारा ज्यादा राशि के **Inflated bills** समर्पित किये जाने एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से अतिरिक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने की प्रवृति पर रोक लगाये जाने से संबंधित] के आलोक में भुगतान के औचित्य की पूर्ण जाँच कर ली जाये।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि का भुगतान किए जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार (**GST**) की कटौती करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 24 /नि0, दिनांकः 12-01-2020

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार--सह--सरकार के सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/01

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।